(79)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

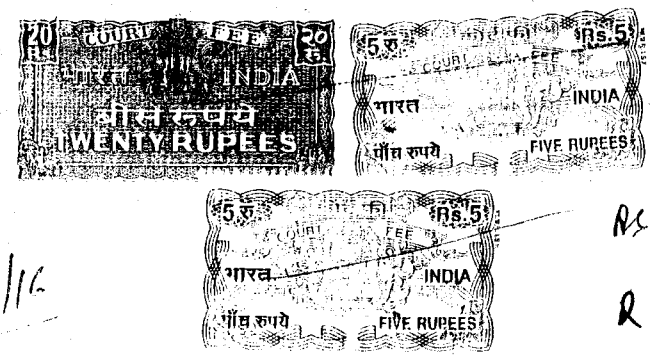

Rs.30/-

R-5542-II/16

1. रामप्रसाद बैरावार पिता स्वर्गीय रामगरीब बैरावार, पेशा-- खेती,
2. सौखीलाल बैरावार पिता स्वर्गीय रामगरीब बैरावार, पेशा-- खेती,

निवासी ग्राम-- रेहुटा, तहसील-- रामपुर नैकिन, जिला--सीधी (म.प्र.)

------ पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

बनाम

1. शिवप्रसाद बैसवार पिता लालमणि बैसवार, पेशा-- खेती, निवासी ग्राम-- रेहुटा, तहसील-- रामपुर नैकिन, जिला-- सीधी (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

------- गैरपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त-- हनुमानगढ़, तहसील-- रामपुर नैकिन, जिला -- सीधी प्रकरण क्रमांक-- 87 / अ -- 12 / 2015--16 आदेश दिनांक-- 05.07.2016 जिसके अनुसार ग्राम-- रेहुटा, तहसील-- रामपुर नैकिन, जिला-- सीधी की आराजी नया बन्दोबस्ती खसरा नंबर-- 306 रकबा 0.030 है0 का सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि किये जाने का आदेश दिया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-- 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है:-

1. यह कि ग्राम-- रेहुटा, जनरल नंबर-- 125, पटवारी हल्का वरौं, राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़, तहसील-- रामपुर नैकिन, जिला-- सीधी स्थित आराजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5542–दो/16 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 87/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 5.7.2016 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन, शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 5 माह से अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिससे विलंब मांफ किया जा सके। समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधनकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। सदस्य	